अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2018 (RCMS 2018/00102) नवरंगलाल प्रजापत पुत्र भंवरलाल प्रजापत, निवासी माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, सावत शॉपिंग मॉल, दुगड़ विद्यालय रोड़, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.) – 331403 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.07..2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नवरंगलाल प्रजापत एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। कार्यालय लिपिक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अपीलार्थी नवरंगलाल प्रजापत द्वारा एक प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 16.03.2018 जो उसके द्वारा दिनांक 22.03. 2018 को पंजीकृत डाक से भेजा गया है के सम्बन्ध में अपील संख्या 35/2018 एवं 39 /2018 इस कार्यालय में अपीलार्थी नवरंगलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील 35/2018 में जिला रसद अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2018 पर विचार करके अप्रार्थी की अपील दिनांक 18.06.2018 को निर्णित की जा चुकी है और अपील संख्या 39/2018 भी अपील संख्या 35/2018 के आधार पर ही दिनांक 20.06.2018 को निर्णित की जा चुकी है।

चूंकि इस अपील संख्या 40/2018 में भी अपीलार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2018 को चुनौती दी गई है। इस प्रार्थना पत्र में अंकित सूचनाओं के सम्बन्ध में पूर्व अपील संख्या 35/2018 अनवान् नवरंगलाल प्रजापत बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 18.06.2018 को एवं अपील संख्या 39/2018 अनवान् नवरंग लाल प्रजापत बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 20.06.2018 को निर्णय दिया जा चुका है। **इसलिए इस अपील पर अलग से किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अपील को अपील संख्या 35/2018 के निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुसार ही निर्णित समझा जावे और अपील संख्या 35/2018 के निर्णय की प्रति इस पत्रावली में शामिल की जावे।**

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर